

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं0सं0-प्र0 04/ल0ज0स0/वि0स0/तारां-52/19 - 1352 (मौ०)

/पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर।

विषय:- श्री मेवालाल चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न-451 के संबंध में।

महाशय,

उर्पयुक्त विषय के संबंध में माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा मुंगेर जिला के टेटिया प्रखंड के वरसंडा ग्राम के पास मुहाने पर चैक डैम निर्माण करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ चेक डैम नहीं रहने से 500 एकड़ जमीन असिंचित रह गयी है। आपके द्वारा यह स्थल तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं बताया गया है एवं यह भी कहा गया है कि इस स्थल के लगभग एक कि०मी० U/s एवं 1 कि०मी० D/s में चेक डैम है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाय कि U/s एवं D/s में स्थित चेक डैम से प्रस्तावित योजना स्थल के क्षेत्रों में सिंचाई हो पाएगी अथवा नहीं।

विश्वासभाजन

23/06/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।